नेहरु बाल उद्यान
निर्देशिका

नाम तथा विस्तार - इस योजना का नाम नेहरु बाल उद्यान योजना होगा तथा यह प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में वर्ष 2002–2003 से लागू होगी ।

उद्देश्य - आज के सामाजिक परिवेश एवं बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुऐ यह नितांत आवश्यक है कि बालोद्यान का विकास हर कॉलोनी, श्रमिक बस्तियों में किया जावें । इससे बच्चों को खेलने कूदने का स्थान उपलब्ध हो सकेगा साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को भी घूमने फिरने का स्थान उपलब्ध हो सकेगा ।

योजना के अंतर्गत लिये जा सकने वाले कार्य

- बालोद्यान की बाउंड्री चेन लिंक फेंसिंग एवं सीमेंट पोल स्थापित कर की जा सकती है । इसका लाभ यह होगा की एक तरफ उद्यान की सुरक्षा रहेगी दूसकी ओर हेजिंग लगाकर ग्रीनरी का आनंद बाहर से भी लिया जा सकेगा ।
- मैदान का समतली करण एवं यदि आवश्यक हो तो मिट्टी बदलने का प्राव्धान किया जा सकता है ।
- मैदान का लगभग ~~0.5~~ 0.05 हैक्टेयर क्षेत्र बच्चों के खेलने के उपकरण आदि हेतु सुरक्षित रखा जावे जिससे वे खेलकूद का भरपूर आनंद उठा सके।
- बच्चों के खेलकूद उपकरण मे झूला, मेरी गो राउन्ड, जंगलजिन, भूलभुलैया, सी–सॉ, फिसल पट्टी, रोप फाल्इविंग हाईविंग आदि स्थापित कर सकते है ।
- ये उपकरण क्रय किये जा सकते है । किन्तु इनमें अधिक धन राशि व्यय न कर, अन्य संगठ्नों से अनुदान स्वरुप भी स्थापित कराये जा सकते हैं ।
- उद्यान में लाइट की व्यवस्था की जा सकती है । प्रत्येक 50 मी. पर पोल लगाये जा सकते हैं ।

कमशः......2

- उद्यान में दो गार्डन सैल्टर लगाये जा सकते हैं । इन गार्डेन सैल्टर को 3 मी. व्यास के षटकोण या अष्टकोण आकार देकर बानाया जा सकता हैं । इसकी संरचना लोकल उपलब्ध मटेरियल जैसे :— पुरानी लकडी(सीज—),घास, जी.आई. पाइप, चद्दर आदि से तैयार की जा सकती है।
- उद्यान को आर्कषक बनाने के लिये बीचों—बीच फाऊन्टेन बनाया जा सकता है ।
- उद्यान में मौलश्री, करंज, अमलतास , गुलमोहर एवं Slow growing but Decorative बाटल पाम के पौधे लगाये जा सकते है । प्रत्येक पौधें एक दूसरे से कम से कम 6 मी. दूरी पर हो ।
- मैदान में घास एवं क्यारी में फल (सदाबहार एवं मौसमी) लगाये जा सकते हैं ।
- उद्यान का निर्माण ठेके पर कराया जावे एवं ठेके में तीन वर्ष तक रख—रखाव का व्यय शामिल कर तीन वर्ष की अवधि की निविदा बुलाई जा सकती है ।
- तीन वर्ष उपरांत रख—रखाव पर व्यय स्थानीय निकाय द्वारा किया जावेगा ।
- पानी की व्यवस्था हेतु नलकूप खनन का कार्य शामिल किया जा सकता है ।
- प्रति हेक्टेयर व्यय की उच्चतम सीमा 11.05 लाख हो सकती है।
- योजना के नाम का बोर्ड लगाना होगा । बोर्ड की साइज 6 गुना 4 रहेगी । बेकग्राउंड नीला रहेगा । अक्षर सफेद रंग से लिखे जावेंगे ।
- योजना पी.डब्ल्यू.डी. एस.ओ.आर. के दर एवं मापदंडों पर आधारित होगी । जिन कार्यो हेतु दर एस.ओ.आर. में नहीं हैं उनका व्यय अनुमान बाजार भाव पर आधारित होगा। इसका स्पष्ट विवरण तकनीकी प्रतिवेदन में उल्लेखित होना चाहिए । योजना हेतु संबंधित मानचित्र एवं भूमि के प्रपत्र आवश्यक होंगे।
- ये तकनीकी निर्देशिका आपके मदद के लिये बनाई गई है । इसमें स्थानीय परिस्थितियों एवं आवश्यकता के अनुरुप संशोधन किया जा सकता है।

कमशः......3

योजना के व्यय की प्रतिपूर्ति - प्रत्येक प्रकरण में उद्यान के क्षेत्रफल के मान से योजना में दी जाने वानली राशि तय की जायेगी । प्रत्यके हेक्टेयर उद्यान क्षेत्र के लिये रु. 11.05 लाख की ऊपरी सीमा होगी । योजना पर होने वाले व्यय की 80 प्रतिशत राशि राज्य शहरी विकास अभिकरण से अनुदान के रुप में जारी होगी तथा शेष 20 प्रतिशत राशि नगरीय निकायों को वहन करनी होगी । यह राशि नगरीय निकाय अपने स्त्रोतों से, जनता के सहयोग से, स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से या जन –प्रतिनिधियों के स्थानीय क्षेत्र विकास निधि इत्यादि से जुटा सकते हैं ।

प्रकिया - नगरीय निकायों द्वारा अपने क्षेत्र के जिन नये उद्यानों को इस योजना के अंतर्गत लिया जाना है उनके प्रस्ताव मय प्राक्कलन के तैयार किया जावेगा । तदोपरांत नगरीय निकाय के आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी इसे अर्द्धशासकीय पत्र माध्यम से संचालक, नगरीय प्रशासन व विकास को भेजेंगे । प्रत्येक माह इस तरह प्राप्त होने वाले प्रकरणों को संचालक, राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) की प्रबंधकारिणी समिति के समक्ष रखेंगे, जिसके अध्यक्ष विभाग के माननीय मंत्री जी हैं ।

समिति, कार्य की आवश्यकता एवं उपयोगिता तथा नगरीय निकाय द्वारा जुटाये गये जन सहयोग/स्वयं अंशदान को ध्यान में रखते हुये योजना को स्वीकृत करेगी । स्वीकृति उपरांत अभिकरण से कार्य हेतु दो समान किश्तों में राशि जारी की जायेगी । दूसरी किश्त की राशि देने से पूर्व अभिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि नगरीय निकाय ने अपने हिस्से की 20 प्रतिशत राशि व्यय की दी है या नहीं । तदोपरांत दूसरी किश्त की राशि जारी की जायेगी ।

छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
डी.के.एस.भवन,मंत्रालय,रायपुर

कमांक 1908 /576/18/2006 रायपुर, दिनांक 17/04/2006

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर (नाम से)
2. समस्त आयुक्त,
   नगर पालिक निगम
3. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
   नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत

विषयः—राज्य प्रवर्तित योजना के दिशा निर्देश में संशोधन।

—::—

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अंतर्गत निम्नांकित राज्य प्रवर्तित योजनाओं के दिशा निर्देश समय-समय पर जारी किये गये थे :—

(i) ज्ञान स्थली योजना, पुष्प वाटिका उद्यान योजना, उन्मुक्त खेल मैदान योजना तथा सरोवर धरोवर योजना, जिसके दिशा निर्देश विभाग के पत्र क. 174/नप्र/02 दिनांक 26 अप्रेल 2002 के द्वारा जारी किये गये थे।

(ii) बाबा गुरुघासीदास झुग्गी बस्ती उत्थान योजना के दिशा निर्देश विभाग के पत्र कमांक 1786 दिनांक 21 अप्रेल 2003 के द्वारा जारी किये गये थे।

(iii) पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वावलम्बन योजना के दिशा निर्देश विभाग के पत्र कमांक एफ 9-25/18/2004 दिनांक 15.09.2004 के द्वारा जारी किये गये थे।

2. उपरोक्त सभी योजनाओं मे यह प्रावधान रखा गया था कि 80 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा नगरीय निकायों को अनुदान स्वरूप दिया जावेगा तथा 20 प्रतिशत राशि संबंधित नगरीय निकाय द्वारा वहन किया जावेगा। उपरोक्त सभी योजनाओं में निम्नांकित संशोधन किया जाता है :—

(i) राज्य प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत शत प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा राज्य शहरी विकास अभिकरण के माध्यम से अनुदान के रूप में दी जावेगी।

(ii) यह संशोधन वित्तीय वर्ष 2006-07 से प्रभावशील होगा तथा केवल नई परियोजनाओं के लिए लागू होगा, शेष निर्देश यथावत रहेंगे।

(अजय सिंह) 17/4/06
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

..2..

छत्तीसगढ़ शासन,
पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग,
मंत्रालय, डी.के.एस. भवन.

आदेश

रायपुर, दिनांक 02.01.2004

क्रमांक 23 /7848/18/2003 : राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ नगरीय अधोसंरचना विकास निधि से संचालित निम्नानुसार, राज्य प्रवर्तित योजनाओं का नाम, उनके सम्मुख दर्शित नाम के रूप में परिवर्तित करता है :-

क्रमांक	योजना का वर्तमान नाम	परिवर्तित नाम
1.	इंदिरा विद्या भवन योजना	ज्ञानस्थली योजना
2.	इंदिरा शहरी सरोवर योजना	सरोवर धरोहर योजना
3.	राजीव खेल मैदान योजना	उन्मुक्त खेल मैदान योजना
4.	नेहरू बाल उद्यान योजना	पुष्प वाटिका उद्यान योजना
5.	राजीव स्वावलम्बन योजना	मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना
6.	प्रियदर्शिनी बस स्टैण्ड योजना	प्रतीक्षा बस स्टैण्ड योजना

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बी.के. सिन्हा)
विशेष सचिव,
पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग

6.1.04

छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

//आदेश//

रायपुर, दिनांक /07/2009

क्रमांक : /5076/18/2009 ::– राज्य शासन द्वारा राज्य प्रवर्तित योजनाओं के मापदण्ड एवं वित्तीय सीमा के निर्धारण हेतु विभाग द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 20.02.2009 में अनुशंसानुसार राज्य प्रवर्तित योजनाओं के लिए पुनरीक्षित मापदण्ड अनुसार निम्नांकित वित्तीय सीमा निर्धारित किया जाता है :–

क्र.	योजना का नाम	प्रचलित वित्तीय मापदण्ड	संशोधित वित्तीय मापदण्ड
1.	सरोवर धरोहर योजना	9.10 लाख/हेक्टेयर	11.90 लाख/ हेक्टेयर
2.	पुष्प वाटिका उद्यान योजना	11.05 लाख/हेक्टेयर	16.00 लाख/हेक्टेयर
3.	उन्मुक्त खेल मैदान योजना	7.50 लाख/हेक्टेयर	10.25 लाख/हेक्टेयर
4.	ज्ञान स्थली योजना :–		
	प्राथमिक शाला –	3.00 लाख	5.25 लाख
	माध्यमिक शाला –	5.00 लाख	7.35 लाख
	हाई स्कूल –	7.00 लाख	8.65 लाख
	महाविद्यालय –	8.00 लाख	9.70 लाख
5.	मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना :–		
	दुकान 3.50 मी. X 3.00 मी. –	25000/– प्रति दुकान	0.57 लाख प्रति दुकान
	दुकान 2.50 मी. X 3.00 मी. –		0.46 लाख प्रति दुकान
6.	सार्वजनिक प्रसाधन योजना :–		
	12 सीटर शौचालय –	6.00 लाख	8.00 लाख
	20 सीटर शौचालय –	9.00 लाख	11.40 लाख
	26 सीटर शौचालय –	10.00 लाख	13.60 लाख

2/– उल्लेखित योजनाओं के लिए पूर्व में जारी दिशा–निर्देश यथावत् रहेंगे।

3/– भविष्य में प्रस्तावित योजनाओं का संशोधित मापदण्ड अनुसार प्रस्ताव तैयार किया जावें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Dy CEO
give copy to all
ULBs
22/8

(गेबनुस खलखो)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग